(193)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3074—दो/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—06—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 208/अपील/2012—13.

.....

संतशरण सिंह चौहान तनय हीरालाल सिंह चौहान
निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

समयलाल तनय जगदेव पनिका

निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 22/06/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—06—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुकवारी तहसील गोपद बनास में स्थित आराजी खसरा न0 224 से निर्मित नवीन खसरा न0 306 के भूमिस्वामी आवेदक है। विवादित भूमि आवेदक को विरासत में प्राप्त हुई है। कालांतर से लगातार अब तक आवेदक मौके से काबिज कास्त है। आवेदक के कब्जे पटटे की भूमि नवीन नम्बर 306 में उत्तरवादी का कब्जा

अंकित करने का आदेश विचारण न्यायालय ने दिया है। विवादित भूमि पर उत्तरवादी का कभी भी अंकित नहीं है और न ही मौके पर उत्तरवादी काबिज कास्त ही है। आराजी खसरा न0 पुराना 223 से निर्मित नवीन नम्बर 304 में उततरवादी का कब्जा वर्ष 1984 में मात्र एक वर्ष अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर पुराना 223 से कतई नहीं हुआ है। अतिरिक्त तहसीलदार तहसील गोपद बनास वृत्त सेमरियां ने आदेश दिनांक 27.7.12 द्वारा अनावेदक को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये गये जिससे दुखित होकर संतशरण आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 19.11.12 को निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20.6.13 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा कमांक पुराना 218/2 नया खसरा कमांक 223 के अंश रकवा 2.00 एकड़ के गस्ती खसरे वर्ष 2005–2006 में कब्जा दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि आनन्द बहादुर सिंह चौहान से भूमि कय करके उसके द्वारा कब्जा दखल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के प्रचलनशीलता पर आवेदक की ओर से आपत्ति की गयी जो निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें स्थगन भी मिला था लेकिन अनुपस्थित होने के कारण निगरानी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि पटवारी प्रतिवेदन को मानते हुये नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया द्वारा दिनांक 27.7.12 को गस्ती खसरे में कब्जा अंकित करने का विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पुराना बन्दोवस्ती खसरा कमांक 218/2 अधिकार अभिलेख से परिवर्तित खसरा कमांक 223 से भूमि खसरा कमांक नये बन्दोवस्त की कार्यवाही में नया खसरा कमांक 304 का निर्माण हुआ है, तथा आराजी खसरा कमांक 306 जो कि आवेदक के स्वत्व आधिपत्य की है का निर्माण ग्राम सुकवारी दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास भूमि खसरा कमांक 224 से हुआ है, तथा पुराना भूमि खसरा कमांक 224 के संबंध में अनावेदक का न तो कोई क्लेम है और न उक्त भूमि के गस्ती खसरे में कभी कब्जा दखल अंकित किया गया। उनके द्वारा आगे तर्क में

कहा गया है कि सारे तथ्यों एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्वांतो पर विचार किये बिना आवेदक के स्वत्व अधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 306 के गस्ती खसरों में कब्जा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार ने अग्राह्य साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया है मात्र 2000/– दो हजार रूपये का अपंजीकृत विक्री विलेख एवं खसरे की छाया प्रतियां तथा पटवारी प्रतिवेदन जो प्रमाणित नहीं कराया गया है उसको आधार मानते हुये आवेदक स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक पुराना 224 नया खसरा कमांक 306 जिसके संबंध में आवेदक की ओर से कोई आवेदन ही नहीं है के गस्ती खसरे में अनावेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक अनपढ़ अशिक्षित आदिवासी है तथा कानून का ज्ञान न हो के कारण कय शुदा आराजी का अपने पक्ष में नामांतरण नहींकरवा सका और आवेदक एवं उनके सहभागियों का आपसी विवाद होनेके कारण अनावेदक का कब्जा भी अंकित नहीं किया गया जिसका तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया तहसीलदार के आदेश दिनांक अनुसार पटवारी द्वारा दिनांक 14.7.09 को पटवारी हल्का द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार स्थल पंचनामा तैयार किया गया ओर उक्त पंचनामा पर मुझ उत्तरवादी के अतिरिक्त रंगनाथ, जग्यसेन, बुद्वसेन, जयलाल, राजमन, रामकृपाल, शिवराजसिंह आदि और अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर हैं तथा पटवारी प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि पर मकान के अलावा बृक्ष भी तैयार किये गये तथा शेष भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। आवेदक का उपरोक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है आनन्द बहादुर की भूमि अपने नाम लिखवा लिया है और चोरी छिपे रिकार्ड तैयार कर रहा है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी तथ्यहीन है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक समयलाल द्वारा विचारण

न्यायालय में इस आश्य का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि पुराना आराजी खसरा न0 223 रकवा 2.00 एकड़ के पटट्ेदार स्व0 सरजूलाल सिंह आदि थे उक्त भूमि आनन्द बहादुर सिंह के नितलवे हक हिस्सा की भूमि थी जिसे आनन्द बहादुर सिंह द्वारा 25 वर्ष पूर्व 2000/–दो हजार में क्रय की थी और दिनांक 27.2.1981 को कब्जा दखल प्राप्त किया गया जिसमें विक्रेता गवाह संत शरण के हस्ताक्षर हैं। अनावेदक मौके से जरिये आबादी एवंलायन बृक्ष लगाकर काबिज दखिल है । विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके का प्रतिवेदन मंगाया जाकर मौके की स्थिति के अनुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न खसरा वर्ष 1981–82 से 1985–86 व 2004–05 प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनावेदक समयलाल पनिका का कब्जा अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की स्थिति का प्रतिवेदन मंगाये जाने के प्श्चात् संलग्न पंचनामा में उपस्थित व्यक्तियों के अंकित कथनों तथा प्रकरण में संलग्न साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित पाये जाने पर ही अनावेदक समयलाल का कब्जा पूर्व राजस्व अभिलेख में अंकित होकर मौके से विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गयी कब्जा प्रविष्टि का आदेश नवीन प्रविष्टि की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । उपरोक्त विवेचना के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी का प्रकरण कमांक 08/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.11.12 एवं अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा का प्रकरण कमांक 208/अपील/2012–13 में पारित आदेश 20.6.2013 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर